# महिला सशक्तिकरण एक अवधाराणा और उसकी चुनौतियाँ

**कुसुम चौधरी**

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र (अतिथि विद्वान)
शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में महिला को आदिकाल से वेदपुराणों और शास्त्रों में देवी का स्थान प्राप्त हुआ है। पृथ्वी की समस्त क्रतियों में महिला एक अनमोल और स्वच्छंद ईष्वर का वरदान माना जाता है। इसलिये ईष्वर को या फिर कहें भगवान षिव को भी पार्वती के बिना अधुरा माना जाता है। इसलिये उन्हें अर्द्धनारेश्वर कहकर स्त्री की उपस्थिति या उसके महत्व को दर्षाया गया है। समाज का एक ऐसा अंग जिसके बिना भविष्य की कल्पना करना भी नामुककिन है। मैं अपने आपकों भाग्यषाली समझती हूं कि मैंने एक स्त्री के रूप जन्म लिया है और मैं इस सृष्टि की रचना में अपना योगदान मानती हूॅ। भारतीय समाज में स्त्री को देवी, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि नामों से उनके असित्व को बल दिया जाता है और उन्हें सम्मान की दृष्टि देखा जाता है तथा समाज में स्त्री को एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है।

किन्तु मैं इसे समाज की विण्डवना ही कहुंगी, जहां पर हम स्त्री को देवी मानते हैं, वहीं हम उसके प्रति दौहरे मापदण्ड को स्थापित करते है और अपने सवेदना विहिन होने का उदाहरण पेश करते हैं ऐसा सिर्फ सोचना की स्त्री को सम्मान देना चाहिए काफी नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना आवष्यक है। समाज के इस दौहरे मापदण्ड का ही उदाहरण है कि एक ओर हम उन्नति की बात करते है इसके विपरीत हम आज भी घर में अपनी माताओं, बहनों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगते देखते हैं।

स्त्री की गरिमा सिर्फ एक चर्चा का विषय न होकर किसी भी राज्य, शासन या देश के सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हमारी इस अवधाराणा को चूर–चूर कर देते है कि हम एक पढ़े–लिखे समाज और सभ्य व्यक्तियों के बीच में रह रहे हैं। आये दिन पेपर या न्यूज में आने वाली खबरें हमें सहमा देती है कि एक चकाचौंध भरे शहर में जहां पर महिलाओं का शोषण एक छोटी घटना मानकर भूला दी जाती है। आये दिन

बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और कार्य स्थल पर छेड़कानी आदि जैसी धिनौनी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है उस पर राजनेताओं के वेतुके वयान यह साबित कर जाते हैं कि सिर्फ साफ–सुधरे कपड़े, सड़के और मॉल भर बना लेने से हम उच्च समाज में प्रवेश नहीं पाते हैं, बल्कि अपने विचार और परिवेश, सोच से हम खुद को उच्च समाज में स्थापित कर सकते हैं। महिलाओं के लिये अपने अधिकार को पाना इतना आसान नहीं है, किन्तु उसके लिये आवष्यक है कि वह अपने अधिकारों को जाने और सभी योजनाओं और व्यवस्थाओं से खुद को जुड़ने का मौका दें।

**महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ** :–

**1.** महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी : – ऐतिहासिक तौर पर महिलाओं का योगदान सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व का नहीं रहा है, बल्कि उसे हमेशा बेकफुट पर माना गया है। अर्थात पुरूष खुद को सर्वोपरि मानते रहे हैं, जबकि इसके विपरित जब महिलाओं नें प्रतिनिधित्व की क्षमता को साबित करने की कोषिष की तो उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसा की पुरूषों के बराबर उसे धन का भुगतान न किया जाना और उसमें आत्मविष्वास की कमी का मुद्दा जो बकौल पुरूष उसमें देखा जाता है। किसी भी टारगेट को यह कहकर स्वीकार करना की ''मैं इसे कर सकती हूं'' किन्तु मुझे पहले सिखना होगा, यह कथन उन्हें आत्म विश्वासी तो बनाते हैं, किन्तु अकडू पुरूष के समाने उन्हें कमजोर साबित कर सकते हैं, लेकिन अपने इस कथन पर विजय पाते ही महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में न केवल खुद को साबित कर रही हैं, बल्कि वह लीडरशिप की एक बेहतरीन मिशाल पेष कर रही है, जिसमें बैंकर चंदो कोचर पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी, विदेष मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा पूर्व मुख्यमंत्री उ.प्र. मायावती जी आदि शीर्ष के नाम हैं।

**2. महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी** :– महिलाओं को आवश्यक है ि कवे यह जानें कि उनके लिये समाज में जो व्यवस्था स्थापित की गई है, वह क्या वास्तविक रूप से कानूनी तरीके से सही है तो उसका आधार क्या है। इस अवधाराणा को जानने के लिये कि आवयश्यक है कि अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करें। पढ़ा–लिखा समाज तो इन सबसे बाकिफ है, किन्तु निम्न श्रेणी में जीवन व्यवतीत करने वाली स्त्रियों को इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है। जैसे न्यूनतम मजदूरी का अधिकार अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हर महिला को पुरूष के बराबर बेतन या मजदूरी जो भी उसका पेशा हो पुरूष के बराबर ही उसको भुगतान किया जाना चाहिए। कम शिक्षित महिलाओं के लिये जो मजदूरी करके अपना भरण–पोषण करती हैं, उनके लिये अधिनियम 1979, अधिनियम 1970,

अधिनियम 1923 आदि है। ये सत्य है कि उन्हें इस विषय या अधिकार की जानकारी नहीं है, किन्तु जो वर्ग खुद को पढ़ा–लिखा समझता है, उनका दायित्व है कि वह उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।

**3.** महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार की चुनौती :– लड़कियों को शुरू से यह समझाया जाता है किवह तो पराया धन हैं और उसके लहजे और रवैये से हमेंषा सभी को प्रसन्न रखना है, किन्तु हम उसे यह बताना भूल ही जाते है कि वह समाज का एक ऐसा अभिन्न अमूल्य अंग है, जिसके बिना समाज की कल्पना करना भी नमुमकिन हैं, शादी के बाद स्त्री की सामजिक और वैचारिक धरात में परिवर्तन आ जाता है, किन्तु इसके लिये आवष्यक नहीं है कि वह अपनी मूल प्रवृत्ति को भूलकर खुद को समर्पित कर दें, चाहें उस पर कितने ही अत्याचार किये जाएं, इसके लिये वह अपने आपको जागरूक कर अपने अधिकारों को पा सकती है, जैसे पुरूष उसे तलाक देता है तो धारा 125 में उसे भरण–पोषण का अधिकार यदि तलाक का मामला चल रहा है तो धारा–24 तथा स्थाई रूप से भरण–पोषण के लिये धारा 125 के अन्तर्गत वह अपने लिये भरण–पोषण या ऐलीमनी की मांग कर सकती है।

**4.** महिलाओं के स्वविवेक एवं आत्मसम्मान की रक्षा :– किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो उसे अधिकार नहीं है कि वह किसी के आत्म सम्मान को क्षति पहुंचाये, किन्तु स्त्रियां इसे बहुत हल्के ढंग से लेती है तथा पुरूषों के तानाषाह रवैये को अपने प्रति प्रेम की भावना समझकर उन्हें बढ़ावा देती हैं, किन्तु यह जानना की कौन सी बात सही है या गलत यह निर्णय करने का अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त होना चाहिए। आवष्यक है कि महिलाओं के सषक्तिकरण के लिये जो युवा पीढ़ी आज संरक्षनात्मक समाज में अपना सहयोग दें। आई.आर.आई (इटरनेशनल रिपपब्लिकन इन्स्टीट्यूट) एक निष्पक्ष संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में हुई। आज यह संगठन 61 देषों में सक्रिय है तथा लगातार महिलाओं और युवा पीढी को उनके अधिकार और नेतृत्व की क्षमता के प्रति आत्मविश्वासी बनाता है और समाज में स्त्री को पुरूष के पुरक के रूप में नहीं बल्कि आवश्यक अंग के रूप में प्रस्तुत करता है। अध्यनों से दुनियाँ भर में यह साबि हुआ है कि यदि नारी क्षमता को नेतृत्व का अधिकार मिलता है तो वे एक बेहतर परिणाम प्रस्तुत करती हैं। यह कथन मिषेल वैकरिंग का जो आई.आर.आई में इण्डोनेशिया की रेजीडेंट कंट्री डायरेक्टर हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताती हैं कि वेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रगति का क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। ताकि प्रगति की रफ्तार को सुचारू रूप से जारी रखा जाए। और नारी में आत्मविष्वास को बढ़ाने के लिये उसे अपनी सफलताओं एवं असफलताओं आंकलन स्वयं करना चाहिए, जिससे वह भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाना कर सके और अपने नजरियें

को स्पष्ट रूप सबके सामने रख सकें। इसे बूमेन्सडेमोक्रेसी से जोड़कर देखा जाए तो सशक्तिकरण को श्रेष्ठ और प्रभावी तरीके से सांझा कर अन्य महिलाओं के लिये उदाहरण पेश कर सकते हैं। पिछले दिनो पढ़ा गया लेख इन्द्रजीत मल्होत्रा ने लिखा है कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। बल्कि महिलाएं उत्तराखण्ड की शान हैं। क्योंकि यहां के 50 प्रतिषत लोग देष की सेवा में कार्यरत हैं, इसलिये घर की सुरक्षा और अन्य जरूरतों की पूर्ति महिलाओं को ही करनी पड़ती है, जो इस दौहरी भूमिका को बखुबी निभाती हैं।

अंत मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें चाहिए कि खुद को जानें स्वयं के अधिकारों को जाने और अपनी क्षमताओं को जानकर समाज के निर्माण में निर्भिक रूप से सहयोग दें तथा स्त्री को सिर्फ शास्त्रों में नहीं बल्कि वास्तविकता में अर्द्धनारेष्वर का रूप दें, क्योंकि स्त्री के समाज अधुरा हैं और अपने सम्मान को दांव पर लगाकर समाज को पूरा करना खुद के साथ अन्याय है। इसलिये जागों और अपना अधिकार माँगों।

## महिला सशक्तिकरण और उसका यर्थात

21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की सोच को सही प्रकार से वर्णित नहीं किया जा रहा है। आधुनिकता को सिर्फ पहनावा टैक्नोलॉजी और मॉडेन्टी के आधार पर हम खुद को आधुनिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आकर्षक लगने पर आप आधुनिक हो सकते हैं। यह बात मेरे विचार से परे हैं, आधुनिकता व्यक्ति के विचारों में और उसकी सोच में होना चाहिए। भारतीय समाज पुरूष प्रधान रहा है महिला को हमेंशा दोयम दर्ज को अधिकार दिया गया है। जिसे अपनी इच्छा से सोचने तथा बोलने पर शक्त मनायी है। ऐसी सोच और रवैया पुरूष प्रधान समाज का रहा है। लेकिन महिला उत्थान को अव क्रांन्तिकारी तरीके से कई मायनों मे महत्व का विषय माना जा रहा है, और महिलो की स्थिति में सुधार हो रहा है। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपनी भूमिका को वखूबी निभा रहें है और महिलाओ को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक और आवाज बुलन्द करने के लिए साहस प्रदान कर रहें और उन्हे शिक्षा स्वास्थ्य और उनकी समज में वृद्वि करने की ओर अग्रसर कर रहे है। जिससे उन्होंने खुद को घर के बाहर के माहौल में स्वयं को सहज करने के बारे में सोचा और अवसरों का लाभ उठाने के लिये स्वयं प्रयास करना आरंभ कर दिया। खुद को पुरूष प्रधान समाज में एक चिर–परिचित स्थान देने का सपना अब धीरे–धीरे सच होता जा रहा है, जो महिलाओं में आत्मविश्वासी और सुद्रण होने का संकेत ही नहीं बल्कि उनकी स्थिति और स्थान को स्पष्ट करता है। लेकिन यह हवा कुछ पुरूषों को राज नहीं आ रही है, क्योंकि उनका अहम और राज करने की स्थिति में दोनों को ही ठेस पहुच रही है। वह इस स्थिति में सोचता है कि व्यक्ति को उनके बराबरी का दर्जा दिया जाना आवष्यक हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात

है कि नारी सशक्तिकरण की बातें और योजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों और ए.सी हॉल तक ही सीमित रह गईं हैं, क्योंकि बंद कमरों में बनाई गई नीतियाँ नारी की असली व्यथा को न तो समझ सकती हैं और न ही उनका निवारण कर सकती हैं।

इतिहास गवाह है कि सीता से लेकर द्रोपती तक पुरूष प्रधान समाज की ओछी सोच छोटी मानसिकता या उनके शक्ति के अनर्गल प्रयोग का षिकार होना पड़ा शास्त्रों में लिखी गईं कुछ पक्तियां ''ढोर, गवार, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी'' इन्हीं के विपरीत कुछ पंक्तियाँ ''नारी तेरी यही कहानी आँचल में दूध आँखों में पानी'' पुरूष समाज में दौहरे मापदण्ड और नारी की स्थिति को सबसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, किन्तु सिर्फ यह सोचना की भारत में ही महिलाओं की स्थिति ऐसी है सोचना सिर्फ एक क्विंदन्ति है और यह सोचना कि बाकी के सभी स्थानों में वह सब सुरक्षित है सोचकर स्वयं को धोखा देना होगा।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक नारी जहां व्यापार कार्पोरेट जगत में अहम भूमिका निभाती हैं वहां 53 प्रतिशत ज्यादा लाभांश और कार्यशैली में लगभग 24 प्रतिशत अधिकता होती है, लेकिन यह सोच लेना कि सब पढ़े–लिखे वर्ग की महिला जो उच्च पद पर बैठी है को ही हम देखकर सम्पूर्ण समाज की स्थिति का अंदाजा लगा लें, यह गलत स्थिति होगी, क्योंकि हमारे देश में नारी के शिक्षा का स्तर कम है। इस कारण से हम सिर्फ शहरी करण पर जोर न देकर उन स्थिति में रह रही महिलाओं के बारे में जानें जो अशिक्षित होने के कारण निम्न स्तर का जीवन–यापन और तानाशाही शिकार होती हैं, जब तक नारी के वैचारिक सामाजिक और पारिवारिक तथा शिक्षा के स्तर का उत्थान नहीं होगा, तब तक महिला सशक्तिकरण केवल एक प्रयास बनकर ही रह जाएगा।

इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव बान मून ने भी अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं और पुरूषों को एक समान मौका दिये जाने पर जोर दिया है। यदि महसूस किया जाए तो महिला महिला सषक्तिकरण का सही अर्थ उन्हें सम्मान देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी लक्ष्य को पाने के लिये (डी.आर.सी) डिजीटल एम्पावरमेंट कॉर्पोरेशन ने देष में लगभग 40 सेन्टर खोले हैं, जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिये संचालित किये जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं, जिनके केन्द्र कई राज्यों में खोले गये हैं।

विण्डम्बना है कि महिलाओं के षिक्षित होने पर भी उन्हें अपने लिये बनाये गये कानून और अधिकारों की अधिक जानकारी नहीं हैं। इस संबंध में यह बताना चाहूंगी, डॉमेस्ट्रिक बायलेस एक्ट 2005 में नारी पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये कड़े कानून बनाये गये।

1. घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून इसके अन्तर्गत महिला सीधे न्यायालय में गुहार लगा सकती है।
2. बच्चे की कस्टडी, गुजारा भत्ता, स्त्री धन और तलाक के निर्णय के बाद सेक्षन 24–25 के तहत परमानेट एलीमनी का दावा कर सकती है।
3. 1955 हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्षन 26 के अनुसार स्त्री अपने बच्चे की सुरक्षा और भरण–पोषण के लिये निवेदन कर सकती है। हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्षन 26 के तहत सम्पत्ति के बंटवारें की मांग पत्नी कर सकती है।
4. कार्यक्षेत्र में हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ इण्डस्ट्रीयल डिसपियूट एक्ट को शेड्यल–4 के तहत धारा 66 के अनुसार सूर्योदय से पहले और शाम–7 के बाद कार्यक्षेत्र पर रूकने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।
5. हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में मृत पति की सम्पत्ति में पत्नी को पूर्ण मालिकन घोषित किया जाएगा।
6. हाल में मुम्बई हाईकोर्ट द्वारा एक केस में दूसरी पत्नी से उसके पति द्वारा दोबारा विवाह के लिये पति दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि इस बात की सच्चाई कल्पित नहीं की जा सकती है, कि उसके उसे प्रथम विवाह के बारे में पता न हो।
7. लड़कियो एवं महिलाओं से आये दिन हो रहे बलात्कार और शारीरिक शोषण वैष्यावृत्ति में धकेलने तथा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोगों के ऊपर षिकंजा कसा जा सके।
8. नाबालिंग बेटी की शादी कानूनी तौर पर अमान्य है इस सबके लिये नाबालिंग बच्ची को पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार है।

यह तो कानूनी दृष्टि से महिलाओं के अधिकारों को दर्षाना मेरा कर्तव्य था, किन्तु मौलिक स्तर पर अभी सोच का दायरा इतना सीमित है कि आज के समय में भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आभाव और प्रताड़ना भरा जीवन जी रही हैं। यदि माता–पिता अपनी बेटी को पढ़ाते भी हैं तो उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिये नहीं अपितु सिर्फ इसलिये उसे अच्छा जीवनसाथी मिल सके। समाज को अपनी इस सोच को बदलना चाहिए और अंधकार से रोशनी की ओर ले जाना चाहिए।